बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

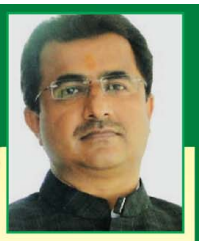

मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2014-15 की कार्य योजना बनाने हेतु 02-05 अक्टुबर को आयोजित ग्राम सभा के पूर्व आयोजित वार्ड सभाओं का कार्यक्रम

1. इस वर्ष मनरेगा अंतर्गत योजनाओं के चयन हेतु 02 अक्तुबर से 5 अक्तुबर के बीच ग्राम सभा सभी पंचायतों में आयोजित की जायेगी ।
2. 02 अक्टूबर से 05 अक्टूबर की ग्राम सभाओं के पूर्व सभी ग्राम पंचायतों में वार्ड सभा का आयोजन निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है:-

वार्ड सभा का कार्यक्रम

वार्ड संख्या	वार्ड सभा आयोजन की तिथि
1	16.09.2013 (प्रातः 10.00 बजे)
2	16.09.2013 (अपराह्न 3.00 बजे)
3	17.09.2013 (प्रातः 10.00 बजे)
4	17.09.2013 (अपराह्न 3.00 बजे)
5	18.09.2013 (प्रातः 10.00 बजे)
6	18.09.2013 (अपराह्न 3.00 बजे)
7	19.09.2013 (प्रातः 10.00 बजे)
8	19.09.2013 (अपराह्न 3.00 बजे)
9	20.09.2013 (प्रातः 10.00 बजे)
10	20.09.2013 (अपराह्न 3.00 बजे)
11	21.09.2013 (प्रातः 10.00 बजे)
12	21.09.2013 (अपराह्न 3.00 बजे)
13	23.09.2013 (प्रातः 10.00 बजे)
14	23.09.2013 (अपराह्न 3.00 बजे)
15 एवं अधिक	24.09.2013 (अधिक वार्ड होने पर उसके बाद लगातार तिथियों को @ 2 वार्ड प्रतिदिन)

3. वार्ड सभा की अध्यक्षता सबंधित वार्ड सदस्य करेंगे। वार्ड सभा में पंचायत रोजगार सेवक उपस्थित रहेंगे तथा संयोजित करेंगे ।
4. विकास मित्र, टोला सेवक, महादलित टोला के झंडोतोलन करने वाले सम्मानीय बुजुर्ग, कार्यरत स्वंय सहायता समूहों के प्रतिनिधियों, पंचायत के सेवानिवृत शिक्षक विशेष तौर पर आमंत्रित हैं ।
5. आप अवगत हैं कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है । इस क्रम में इस वर्ष सर्वेक्षण कर हर ग्राम के वास्तविक कार्य की मॉग की मात्रा / समय का पता लगाने के लिए बेसलाईन सर्वेक्षणकरना है जिसमे सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत में प्रत्येक जॉब कार्डधारक की मौसमी मॉग से संबधित जानकारी प्राप्त करनी है ।अगर आपसे मेट अथवा पंचायत रोजगार सेवक द्वारा सम्पर्क कर आपकी मांग दर्ज नही की जाती है तो आप वार्ड सभा/ ग्राम सभा में अपना मांग दर्ज करायें ।
6. मनरेगा अंतर्गत अनुमान्य योजनाये निम्नवत हैं:-

6.1 सार्वजनिक भूमि पर ली जाने वाली योजनायें

i. जल संरक्षण और जल शस्य संचय अंतर्गत कन्टूर खाइयां, गैबियन संरचनाएं, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध और झरनों का विकास [स्लूइस गेट, चेक डैम, ट्रेंच, वाटर शेड संरचनाऐं आदि]
ii. सूखारोधी, वनरोपण और वृक्षारोपण [भूमि एवं नमी संरक्षण, फलवार एवं इमारती प्रजाति के पौधे लगाना आदि]
iii. सिंचाई नहरें, सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म [नहरों का निर्माण / उड़ाही/ सुदृढ़ीकरण , सार्वजनिक कूप निर्माण, ट्युबवेल वेगेल का निर्माण आदि]
iv. पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, तालाबों का शुद्धिकरण [आहर-पईन खुदाई, जमीनदारी बांधों, सार्वजनिक तालाब निर्माण / सुदृढ़ीकरण/ जीर्णोद्धार आदि]
v. भूमि विकास [भूमि समतलीकरण, मृदा संरक्षण, कटाव रोधी कार्य आदि]
vi. जलरूद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का सनिर्माण
vii. सभी मौसमों में पहुंच को उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण सम्पर्क पथ, जिसके अंतर्गत गांव के भीतर, जहां कहीं आवश्यक हो, पुलिया और सड़के भी है [इसमें एक बसावट से दुसरी बसावट को जोड़ने वाले पथ, बसावट को मुख्य पथ से जोड़ने वाले पथ तथा बसावट के अंदर के पथ लिये जा सकते है बशर्ते की ऐसे पथ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत नहीं शामिल हो । इन पथों में मिट्टी कार्य, ईंटकरण, (मोरम) पथ, नाली निर्माण, कलवर्ट निर्माण, तक का कार्य लिया जा सकता है । बसावटों की आंतरिक गलियों मात्र में पी.सी.सी. पथ या सीमेंट कंक्रीट इंटरलाकिंग टाइल्स का उपयोग कर निर्माण कार्य का चयन किया जा सकता है । पथों के चयन में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की बसावटों को सर्व प्रथम आच्छादित किया जायेगा । पंचायतें यदि पी.सी.सी. कार्य करना चाहें तो उक्त अनुमान्यता के अतिरिक्त कार्य अन्य मदों से कर सकती है । तदनुसार प्राक्कलन में स्पष्टतः अलग-अलग प्रावधान दर्शायें जायें ।]
viii. ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर एक मास्त निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (मनरेगा भवन) का निर्माण ।
ix. सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य संबंधी संकर्म ।
x. सोक पिट्स(सोख्ता गड्ढे), रिचार्ज पिट्स (वर्षा जल को भूजल में बढ़ाने की सुविधा) जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी संकर्म ।
xi. विद्यालय शौचालय इकाइयां, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संकर्म ।

6.2 निजी भूमि या गृह स्थल पर अनुमान्य कार्य

निम्न श्रेणियों के जॉब कार्डधारी परिवारों के अपने(स्वामित्व) की भूमि या वास की भूमी पर इस प्राथमिकता क्रम में कार्य अनुमान्य है:-

क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
ख) गरीबी रेखा से नीचे के परिवार
ग) भूमि सुधार के लाभार्थी (पर्चाधारी)
घ) इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी
ङ) लघु या सीमांत कृषकों ।

[नोट : यदि आपका जाबकार्ड नही बना हैतो वार्ड सभा के दौरान आवेदन देकर बनवा लें]

अनुमान्य कार्यों का विवरण:- [नोट: मानक प्राक्कलन सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराये गये है]

i. गृहस्थयों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई, बागवानी, वृक्षारोपण इत्यादि से संबंधित किये जाने वाले कार्य :-

क) निजी तालाब,
ख) सिंचाई सुविधा (निजी कूप आदि),
ग) बागवानी,
घ) वृक्षारोपण,
ङ) मेढ़बंधन (खेत बांध),
च) भूमि विकास का उपबंध

ii. कृषि संबंधित कार्य

क) एनएडीपी कपोस्टिंग (NADEP) (गड्ढे में कृषि अपशिस्ट, गोबर तथा मिट्टी को मिला कर जैव घटक को जैविक तरिके से खाद मिट्टी में बदलना),
ख) वर्मी कंपोस्टिंग (केंचुये का उपयोग कर कृषि अपशिष्ट, गोबर इत्यादि को खाद मिट्टी में बदलना)
ग) लिक्विड खाये-मेन्योर (तरल जैव खाद जैसे जीवामृत, संजीवक, अमृत पानी आदि)

iii. पशुपालन संबंधित कार्य

क) कुक्कुट आश्रय स्थल,
ख) बकरी आश्रय स्थल,
ग) मवेशियों के लिए पक्का फर्श, यूरीन टैंक तथा नाद का निर्माण
घ) अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक

iv. तटीय क्षेत्रों में

क) मछली शुष्कन (सुखाने) यार्ड,
ख) बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म ।

v. व्यक्तिगत घरेलु पखाने (शौचालय) ।

7. जो भी पात्र जॉबकार्डधारी परिवार निजी / वास भूमि पर मनरेगा अन्तर्गत कार्य कराना चाहते हैं, वे विहित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र वार्ड सभा के दौरान या 24.09.2013 तक पंचायत रोजगार सेवक को उपलब्ध करा दें (साथ में पावती भी अवश्य लें) तो उनकी योजना इस ग्राम सभा में ही शामिल हो जायेगी ।
8. जो पात्र परिवार बाद में निजी जमीन पर काम कराने का निर्णय लेते हैं वे कभी भी अपना आवेदन कार्यक्रम पदाधिकारी को दे सकते हैं । कार्यक्रम पदाधिकारी प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत करके आवेदक को प्राप्ति रसीद देंगे ।
9. **वार्ड सभा में की कार्यवाही का सुझावात्मक कार्यावली:-**

I. इस वर्ष वार्ड सभा में उपस्थिति दर्ज करने तथा कार्यवाही लिखने के लिये जिला स्तर से मुद्रित कार्यवाही पंजी दी जा रही है । इस पंजी में ही उपस्थिति एवं कार्यवाही दर्ज होगी ।
ii. सर्व प्रथम श्रम बजट बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा कर यह देख लें कि वार्ड की पूरी संभावित मांग इसमे आ गयी है । आवश्यक होने पर संशोधन करें एवं कारण को कार्यवाही में दर्ज करें ।
iii. वार्ड क्षेत्र में मनरेगा की कार्यरत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें । यह आपका हक है ।तदनुसार सभा का मंतव्य जरूर दर्ज किया जाय ।
iv. वर्ष 2014-15 के लिए नई योजनाओं का चयन कर तदनुसार कार्यवाही में लिखायें ।
v. पंचायत सतर्क ता एवं निगरानी समिति (PVMC) के वार्ड प्रतिनिधि का चयन ।
vi. SECC के हैण्ड बिल का वाचन ।
vii. अन्यान्य ।

10. यह ध्यान रहे की हर वार्ड से कम से कम एक योजना अवश्य ली जाय ।
11. वार्ड सभा से पारित श्रम बजट एवं कार्यों की सूची को ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक 29.09.2013 को होगी, जिसमें वार्डों द्वारा पारित श्रम बजट/ योजनाओं पर विचार कर ग्राम पंचायत का समेकित श्रम बजट एवं "प्रारूप प्राथमिकता सूची" तैयार की जायेगी । इस क्रम में यह प्रयास करना चाहिये कि हर वार्ड की योजनाएं समान आधार पर समावेशित हों ।
12. अनुरोध है कि वार्ड सभा में शामिल होकर काम पाने के हक का उपयोग करें तथा अपने वार्ड/ग्राम के लिये तथा अपने निजी जमीन पर उपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु योजना बनाने में अपनी सहभागिता निभायें । स्मरण रहे कि वार्ड सभा द्वारा पारित योजनाएं पंचायत की कार्य योजना का आधार होंगी जो ग्राम सभा उक्त पंचायत के मुख्यालय में दिनांक 2 से 5 अक्टुबर के बीच निर्धारित है।

वार्ड सभा की विडियोग्राफी की जायेगी तथा इसे प्रखंड स्तर पर संधारित किया जायेगा । मांगे जाने पर निर्धारित शुल्क के विरुद्ध इसकी प्रति उपलब्ध करायी जायेगी ।